–:: प्रतिलिपि आदेश दिनांक 14.10.2022 ::–

न्यायालयः–वेन्सेस्लास टोप्पो, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा (छ0ग0)

जमानत प्र0क्र0 **536/2022**
फाईलिंग नंबर **947/2022**

नंदलाल भारती, उम्र 40 साल, पिता – शिवचरण भारती,
निवासी – ग्राम नधीरा, थाना बम्हनी जिला सोनभद्र (उ0प्र0)
वर्तमान निवासी वार्ड नं0 07, करगीरोड कोटा,
जिला – बिलासपुर (छ0ग0)..**आवेदक/आरोपी**

–:: विरूद्ध ::–

छ0ग0 राज्य द्वारा,
जिला दंडाधिकारी कोरबा ....**अभियोगी**

जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 439 दं0प्र0स0

14.10.2022 आवेदक/आरोपी द्वारा श्री पुष्कर विजय अधिवक्ता।

राज्य द्वारा श्री अशोक आनंद ए0पी0पी0।

न्यायालय कु0 नेहा उसेंडी, जेएमएफसी कटघोरा के न्यायालय के दां0प्र0क्र0 288/2021 अन्तर्गत धारा 457, 380 भा0द0स0 से संबंधित प्रकरण प्राप्त है।

आवेदक/आरोप की ओर से प्रस्तुत **प्रथम** जमानत आवेदन धारा 439 दं0प्र0स0 पर उभयपक्ष का तर्क सुना गया।

आरोपी/आवेदक की ओर से **उसके भाई के मित्र अजय कुमार ने** शपथ पत्र पेश किया है कि इस न्यायालय में यह **प्रथम** जमानत आवेदन पत्र पेश किया गया है। इस प्रकार का अन्य कोई भी जमानत आवेदन किसी अन्य न्यायालय में अथवा माननीय उच्च न्यायालय में पेश नहीं किया गया है और न ही निराकृत हुआ है और न ही लंबित है।

आवेदक/आरोपी का जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 संक्षेप में यह है कि उसका जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 437 दं0प्र0स0 दिनांक 26.5.2021 को निरस्त किया गया है। जेल में रहने से उसके परिवार के समक्ष आर्थिक, मानसिक, शारीरिक संकट उत्पन्न हो गया है। वह वर्तमान में वार्ड नं0 07 करगीरोड कोटा जिला बिलासपुर का स्थाई निवासी है जिसके अन्यत्र फरार होने की संभावना नहीं है। अभियोग–पत्र पेश किया जा चुका है तथा प्रकरण के निराकरण में समय लगने की पूर्ण संभावना है। आवेदक/आरोपी न्यायालय के आदेशों एवं शर्तो का पालन करेगा। अतः उसे जमानत मुचलके पर रिहा किए जाने का निवेदन किया गया है।

राज्य की ओर से ए0पी0पी0 श्री अशोक आनंद द्वारा उक्त जमानत आवेदन का विरोध किया गया है और तर्क किया गया है कि आरोपी आदतन अपराधी है और उसके फरार होने की संभावना है। आरोपी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए जमानत आवेदन निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

विचारण न्यायालय के उक्त प्रकरण के परिशीलन से दर्शित है कि घटना दिनांक 13.11.2019 से 14.11.2019 की दरम्यानी रात्रि चोरी करने के आशय से उर्जानगर दीपका स्थित प्रार्थी शशिकांत के मकान बी/88 में प्रवेश कर रात्रोगृहभेदन किया और प्रार्थी के मकान का इंटर लॉक को तोडकर अंदर प्रवेशकर प्रार्थी के आधिपत्य के नगर रकम 32,000/–रु0, दो नग सोने की अंगूठी, एक नग सोने का मंगलसूत्र एवं चादी की दो कटोरी को सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी किया। जिससे उसके विरूद्ध विवेचना उपरांत थाना दीपका द्वारा अप0क्र0 237/19 अन्तर्गत धारा 457,380 भा0द0स0 के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

प्रकरण के परिशीलन से प्रथम दृष्टया यह दर्शित होता है कि आवेदक /आरोपी जिला बिलासपुर छ0ग0 का स्थाई निवासी न होकर ग्राम नधीरा

थाना बम्हनी जिला सोनभद्र (उ0प्र0) का स्थाई निवासी है जिससे उसके फरार होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही आवेदक/आरोपी हत्या जैसे गंभीर आजीवन कारावास भुगत चुका है और लूट डकैती, चोरी जैसे अपराध में भी बिलासपुर जेल में भी निरूद्ध रहना बताया गया है। आवेदक/आरोपी पेशेवर अपराधियों के साथ मिलकर, योजनाबद्ध तरीके से चोरी की घटना कारित किया जाना दर्शित हो रहा है। अतः इस प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक/आरोपी नंदलाल भारती को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से उसकी ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 439 दं0प्र0स0 **निरस्त** किया जाता है।

आदेश की प्रति के साथ विचारण न्यायालय का अभिलेख वापस भेजा जाये।

यह प्रकरण समाप्त, परिणाम दर्जकर अभिलेखागार में विधिवत जमा किया जावे।

(वेन्सेस्लास टोप्पो)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा
जिला –कोरबा (छ0ग0)

प्रतिलिपि :– श्री रमेश कुमार चौहान, जेएमएफसी कटघोरा जिला कोरबा।
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(वेन्सेस्लास टोप्पो)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा
जिला –कोरबा (छ0ग0)

14.10.2022 आवेदक/आरोपी द्वारा श्री पुष्कर विजय अधिवक्ता।

राज्य द्वारा श्री अशोक आनंद ए0पी0पी0।

न्यायालय कु0 नेहा उसेंडी, जेएमएफसी कटघोरा के न्यायालय के दां0प्र0क0 288/2021 अन्तर्गत धारा 457, 380 भा0द0स0 से संबंधित प्रकरण प्राप्त है।

आवेदक/आरोप की ओर से प्रस्तुत **प्रथम** जमानत आवेदन धारा 439 दं0प्र0स0 पर उभयपक्ष का तर्क सुना गया।

आरोपी/आवेदक की ओर से **उसके भाई के मित्र अजय कुमार ने** शपथ पत्र पेश किया है कि इस न्यायालय में यह **प्रथम** जमानत आवेदन पत्र पेश किया गया है। इस प्रकार का अन्य कोई भी जमानत आवेदन किसी अन्य न्यायालय में अथवा माननीय उच्च न्यायालय में पेश नहीं किया गया है और न ही निराकृत हुआ है और न ही लंबित है।

आवेदक/आरोपी का जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 संक्षेप में यह है कि उसका जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 437 दं0प्र0स0 दिनांक 26.5.2021 को निरस्त किया गया है। जेल में रहने से उसके परिवार के समक्ष आर्थिक, मानसिक, शारीरिक संकट उत्पन्न हो गया है। वह वर्तमान में वार्ड नं0 07 करगीरोड कोटा जिला बिलासपुर का स्थाई निवासी है जिसके अन्यत्र फरार होने की संभावना नहीं है। अभियोग–पत्र पेश किया जा चुका है तथा प्रकरण के निराकरण में समय लगने की पूर्ण संभावना है। आवेदक/आरोपी न्यायालय के आदेशों एवं शर्तो का पालन करेगा। अतः उसे जमानत मुचलके पर रिहा किए जाने का निवेदन किया गया है।

राज्य की ओर से ए0पी0पी0 श्री अशोक आनंद द्वारा उक्त जमानत आवेदन का विरोध किया गया है और तर्क किया गया है कि आरोपी आदतन अपराधी है और उसके फरार होने की संभावना है। आरोपी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए जमानत आवेदन निरस्त किए जाने का

निवेदन किया गया है।

विचारण न्यायालय के उक्त प्रकरण के परिशीलन से दर्शित है कि घटना दिनांक 13.11.2019 से 14.11.2019 की दरम्यानी रात्रि चोरी करने के आशय से उर्जानगर दीपका स्थित प्रार्थी शशिकांत के मकान बी/88 में प्रवेश कर रात्रोगृहभेदन किया और प्रार्थी के मकान का इंटर लॉक को तोडकर अंदर प्रवेशकर प्रार्थी के आधिपत्य के नगर रकम 32,000/–रु0, दो नग सोने की अंगूठी, एक नग सोने का मंगलसूत्र एवं चादी की दो कटोरी को सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी किया। जिससे उसके विरूद्ध विवेचना उपरांत थाना दीपका द्वारा अप0क्र0 237/19 अन्तर्गत धारा 457,380 भा0द0स0 के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

प्रकरण के परिशीलन से प्रथम दृष्टया यह दर्शित होता है कि आवेदक/आरोपी जिला बिलासपुर छ0ग0 का स्थाई निवासी न होकर ग्राम नधीरा थाना बम्हनी जिला सोनभद्र (उ0प्र0) का स्थाई निवासी है जिससे उसके फरार होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही आवेदक/आरोपी हत्या जैसे गंभीर आजीवन कारावास भुगत चुका है और लूट डकैती, चोरी जैसे अपराध में भी बिलासपुर जेल में भी निरूद्ध रहना बताया गया है। आवेदक/आरोपी पेशेवर अपराधियों के साथ मिलकर, योजनाबद्ध तरीके से चोरी की घटना कारित किया जाना दर्शित हो रहा है। अतः इस प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक/आरोपी नंदलाल भारती को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से उसकी ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 439 दं0प्र0स0 **निरस्त** किया जाता है।

आदेश की प्रति के साथ विचारण न्यायालय का अभिलेख वापस भेजा जाये।

यह प्रकरण समाप्त, परिणाम दर्जकर अभिलेखागार में विधिवत जमा किया जावे।

(वेन्सेस्लास टोप्पो)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा
जिला –कोरबा (छ0ग0)